P.M-107-
31-10-2020

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
09.10.2020	**न्यायालय उपायुक्त –सह– जिला दंडाधिकारी, गढ़वा** अनुज्ञप्ति अपील वाद सं0– 5/2018—19 जनार्दन बैठा बनाम जिला आपूर्ति पदाधिकारी,गढ़वा आदेश यह अपील वाद आवेदक जनार्दन बैठा वल्द श्री लक्ष्मण बैठा, ग्राम–कितासोती खूर्द, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा वाद संख्या 29/2018 में दिनांक 29.10.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलार्थी का अपील आवेदन में कहना है कि लाभुकों को नियमित रूप से खाद्यान्न वितरण नहीं करने एवं किरोसीन तेल का मूल्य 39.41 रूपये के स्थान पर 41.00 रूपये लेने के विरूद्ध मुख्यमंत्री जन संवाद में दर्ज शिकायत पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा अपीलार्थी से स्पष्टीकरण की मांग की गई जिस पर अपीलार्थी द्वारा कंडिकावार जवाब दाखिल किया गया। शिकायतकर्त्ता का यह शिकायत कि किरोसीन तेल का मूल्य 39.41 रूपये प्रति लीटर के स्थान पर 46.00 रूपये लिया जाता है गलत है, चूंकि स्वयं किरोसीन तेल का हॉल सेल दर 45.09 रूपये प्रति लीटर एवं खूदरा विक्रेता के लिए 46.00 रूपये है तथा बिक्री दर हमेशा माह दर माह बदलते रहता है । जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी दिनांक 29.10.2018 को पारित आदेश नियम विरूद्ध है। अपील आवेदन में आगे उनका यह भी कहना है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा बिना विचार किए एवं बिना कागजात को देखे आदेश पारित किया गया है जो कानून की दृष्टि में स्वीकार योग्य नही है। अपीलार्थी को परेशान करने के नियत से मुख्यमंत्री जनसंवाद में शिकायत दर्ज कराया गया था। अपने अपील आवेदन में उन्होनें पारित आदेश को अपास्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाद के प्रत्यर्थी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा की ओर से अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन के आलोक में प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर में मुख्य रूप से उल्लेख है कि जाँच के समय ग्राम कितासोती खूर्द के लाभुकों द्वारा बताया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता जनार्दन बैठा द्वारा माह जून 2018 में किरोसीन तेल 40.00 रूपये प्रति लीटर की दर से दिया गया है एवं लाभुकों के साथ इनका व्यवहार उत्तम है जबकि ग्राम कितासोती कला के लाभुक चन्द्रदेव सिंह व अन्य द्वारा बयान दिया गया कि उन्हें किरोसीन तेल 46.00 रूपये प्रति लीटर की दर से दिया गया है एवं उनके व्यवहार से क्षुब्ध है। उन्होंने अपने प्रत्युतर को स्वीकार करने हेतु अनुरोध किया है । अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी द्वारा लाभुकों के बीच किरोसीन तेल का वितरण उचित दर पर किया गया है। तर्क में उनका यह भी कहना है कि जो भी शिकायतकर्त्ता हैं, अपीलार्थी के लाभूक नहीं हैं। शिकायतकर्त्ता द्वारा अपीलार्थी से ब्लैक में किरोसीन तेल की मांग की जा रही थी। अपीलार्थी द्वारा नहीं देने पर शिकायतकर्त्ता द्वारा झूठा शिकायत मुख्यमंत्री जन	

संवाद में किया गया था। साथ ही शिकायतकर्त्ता जब अपीलार्थी के लाभुक नहीं थे तो शिकायतकर्त्ता को 46.00 रूपये प्रति लीटर किरोसीन तेल देने का कोई औचित्य नही बनता है। अपीलार्थी बिल्कुल निर्दोष है तथा सरकारी राशन एवं तेल वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है। तर्क में उन्होनें अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2018 को पारित आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के तर्क को सुनने के साथ–साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर वो प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध 39.41 रूपये के स्थान पर 46.00 रूपये प्रति लीटर की दर से लाभुकों को किरोसीन तेल आपूर्ति किये जाने का शिकायत मुख्यमंत्री जन संवाद में दर्ज किया गया था जिस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा से जाँच कराया गया। जाँच में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा के प्रतिवेदनानुसार जन वितरण प्रणाली विक्रेता जनार्दन बैठा जो इस वाद के अपीलार्थी है, का व्यवहार ठीक नहीं रहता है एवं राशन हेतु बार–बार लाभुकों को बुलाया जाता है तथा 46.00 रूपये प्रति लीटर किरोसीन तेल दिया गया है । इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से स्पष्ट होता है कि प्रखंड विकास विकास पदाधिकारी–सह–प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अपीलार्थी जनार्दन बैठा जन वितरण प्रणाली विकेता के अनुज्ञप्ति संख्या 08/2006 को निरस्त किया गया है जबकि अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क में कहना है कि प्रथम द्रष्टया जो भी शिकायकर्त्ता है वे अपीलार्थी के लाभुक नहीं हैं एवं अपीलार्थी द्वारा निर्धारित सरकारी दर पर ही किरोसीन तेल लाभुकों के बीच वितरण किया गया है। निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ संलग्न प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा के स्थल जाँच जिसमें कतिपय ग्रामीणों का बयान दर्ज है, के अनुसार ग्रामीणों द्वारा दिया गया बयान एक दूसरे के विरोधाभाषी है । दर्ज बयान में जहाँ एक ओर ग्रामीण अनुज राम ,मन्ती देवी, अवधेश बैठा, पूनम देवी एवं पुटिया देवी द्वारा 40.00 रूपये प्रति लीटर किरोसीन तेल वितरण करने की बात कही गई है वहीं दूसरी ओर धर्मजीत कुमार गोस्वामी, चन्द्रदेव सिंह, रमेश सिंह, नन्दू सिंह एवं भगन सिंह द्वारा 46.00 रूपये प्रति लीटर की दर से किरोसीन तेल वितरण की बात कही गई है । साथ ही इसी जाँच के कम में शिवकुमार राम एवं अन्य ग्रामीणें द्वारा बयान में जन वितरण प्रणाली दुकानदार जनार्दन बैठा का व्यवहार उत्तम बताते हुए 40 रूपये की दर से किरोसीन तेल वितरण की बात कही गई है। इसी प्रकार जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर में निहित तथ्यों के अनुसार भी ग्रामीणों द्वारा अंकित बयान एक दूसरे के विरोधाभाषी है । अब महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि जहाँ एक ओर ग्रामीणों के शिकायत पर अपीलार्थी द्वारा किरोसीन तेल अधिक दर पर लाभूकों के बीच वितरण करने के कारण अपीलार्थी के जनवितरण अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है वहीं दूसरी ओर अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क में कहना है कि शिकायकर्त्ता अपीलार्थी के लाभूक नहीं है, के संदर्भ में माह जून 2018 एवं पूर्व के माह हेतु किरोसीन तेल का बिक्री दर तथा शिकायतकर्ता अपीलार्थी के लाभूक हैं अथवा नहीं के संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं उसके साथ संलग्न प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माह जून 2018 एवं पूर्व के माह हेतु किरोसीन तेल बिक्री दर 39.31 रूपये प्रति लीटर प्रभावित था। साथ ही शिकायतकर्ता धर्मजीत गोस्वामी, रमेश सिंह की पत्नी एतवारी देवी, चन्द्रदेव सिंह की पत्नी

जगमानी कुवंर, भगन सिंह की पत्नी आशा देवी, सुखदेव सिंह एवं नन्दू सिंह की पत्नी सितलमानी देवी, को राशन डीलर जनार्दन बैठा के यहां से मिलता था जो वर्तनाम में डीलर राजदेव बैठा के यहाँ से राशन मिल रहा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार उक्त सभी लाभूक अपीलार्थी डीलर जनार्दन बैठा के ही कार्डधारी थे।

जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा किरोसीन तेल का मूल्य अधिक लेने की बात है, के संदर्भ में निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ संलग्न प्रखण्ड विकास पदाधिकारी– सह–आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा के स्थल जाँच जिसमें कतिपय ग्रामीणों का बयान दर्ज है, के अनुसार ग्रामीणों द्वारा दिया गया बयान एक दूसरे के विरोधाभाषी है। दर्ज बयान में जहां एक ओर अनुज राम, मंती देवी, अवधेश बैठा, पूनम देवी एवं पुटिया देवी के साथ–साथ शिवकुमार राम एवं अन्य द्वारा 40 रूपये प्रति लीटर किरोसीन तेल वितरण की बात कही गई है एवं जन वितरण प्रणाली दुकानदार जनार्दन बैठा का व्यवहार उत्तम बताया गया है वहीं दूसरी ओर धर्मजीत गोस्वामी, चन्द्रदेव सिंह, रमेश सिंह एवं भगन सिंह द्वारा 46 रूपये प्रति लीटर की दर से किरोसीन तेल वितरण की बात कही गई है। इस प्रकार ग्रामीणों का दर्ज विरोधाभाषी बयान से अपीलार्थी के विरूद्ध किरोसीन तेल के वितरण दर के संबंध में दर्ज शिकायत की पुष्टि नहीं होती है तथा अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क में यह कथन कि शिकायतकर्त्ता द्वारा अपीलार्थी से ब्लैक में किरोसीन तेल की मांग की जा रही थी एवं अपीलार्थी द्वारा नहीं देने पर झूठा शिकायत किया गया था उचित प्रतित होता है।

इस प्रकार सम्पूर्ण तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा वाद संख्या 29/2018 में दिनांक 29.10.2018 को पारित आदेश के क्रम में किरोसीन तेल के वितरण दर के संबंध में ग्रामीणों द्वारा दिये गए विरोधाभाषी बयान पर गौर नहीं किया गया प्रतीत होता है। फलतः अपीलार्थी के अपील आवेदन पत्र को स्वीकृत किया जाता है एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा वाद संख्या 29/2018 में दिनांक 29.10.2018 को पारित आदेश को अपास्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

9/10/20

उपायुक्त – सह–
जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा

9/10/20

उपायुक्त–सह–
जिला दण्डाधिकारी,गढ़वा।